प्रेस विज्ञप्ति

19.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने **कल्पतरु ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़** द्वारा चलाए गए पोंजी स्कीम/एमएलएम मामले के संबंध में मुख्य आरोपी स्वर्गीय जय किशन राणा की पत्नी मिथिलेश सिंह, उनके करीबी सहयोगियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दलालों और एजेंटों जैसे सुमन प्रभा शर्मा, देवेंद्र गर्ग, हरेंद्र तरकर, रामवीर तरकर, प्रखर गर्ग, शिवम अग्रवाल और अन्य के आगरा, मथुरा और नोएडा, उत्तर प्रदेश में 16 परिसरों पर18/12/2024 को तलाशी ली है। इस घोटाले में, हजारों लोगों को उनके निवेश पर उच्च मूल्य के रिटर्न के नाम पर या उनके निवेश के बदले जमीन/प्लॉट प्रदान करने के नाम पर धोखा दिया गया है। तलाशी के दौरान, 1.02 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी, 88 अचल संपत्तियों के बिक्री विलेख/दस्तावेज, मामले से संबंधित सैकड़ों संपत्तियों के डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी ने कल्पतरु समूह की कंपनियों के निदेशकों/प्रवर्तकों/एजेंटों/प्रबंधकों अर्थात् जय किशन सिंह राणा, भीकम सिंह, बिपिन कुमार यादव और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि कंपनी ने भोले-भाले निवेशकों को धोखा दिया और उच्च रिटर्न तथा परिपक्वता अवधि के बाद भूमि/प्लॉट का वादा करने के नाम पर भारी धन एकत्र किया। कंपनी और आरोपी व्यक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अर्जित विभिन्न अचल संपत्तियों की पहचान की गई और 84 करोड़ रुपये मूल्य की अपराध की आय (पीओसी) को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया और 2023 में न्यायाधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

अब तक इस मामले में 74 एफआईआर दर्ज की गई हैं और समूह की कंपनियों द्वारा एकत्र कुल पीओसी 681 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, देवेंद्र गर्ग, दीपक कपूरिया, मिथलेश सिंह और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) 13.09.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष दायर की गई थी और माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।

ड्राफ्ट ट्वीट:-

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने **कल्पतरु ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़** द्वारा चलाए गए पोंजी स्कीम/एमएलएम मामले के संबंध में मुख्य आरोपी स्वर्गीय जय किशन राणा की पत्नी मिथिलेश सिंह, उनके करीबी सहयोगियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दलालों और एजेंटों जैसे सुमन प्रभा शर्मा, देवेंद्र गर्ग, हरेंद्र तरकर, रामवीर तरकर, प्रखर गर्ग, शिवम अग्रवाल और अन्य के आगरा, मथुरा और नोएडा, उत्तर प्रदेश में 16 परिसरों पर18/12/2024 को तलाशी ली है। तलाशी अभियान के दौरान 1.02 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी, 88 अचल संपत्तियों के बिक्री विलेख/दस्तावेज, डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।